होने के बावजूद
कोई उप. नहीं हुआ अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही
अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील ने बहस सुनने का
निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। ~~बहस~~
बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया
गया। लिखित दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया जिसके आ
पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
योग्य है। अत: तत्सम्बन्धी निर्णय अलग से लिखा जाकर
पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा
दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई अप: नहीं हुआ अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। ~~वकील~~ बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। लिखित दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अत: तत्सम्बन्धी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो।

12/01/23 प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री बाबुलाल त्रिपाठी यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03/2/23 को पेश हो ।

3/2/23 — अधिवक्तागण हड़ताल में होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 28/3/23 को पेश हो।

28/3/23 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 29/3/23 को पेश हो।

29/3/23 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 31/3/23 को पेश हो।

31/03/23 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 26/04/23 को पेश हो।

पत्रावली पूर्व आदेशिका अनुसार आईन्दा दिनांक 26/04/23 को पेश हो।

[illegible] वकील प्रार्थी उप.। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है